

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 5014/2022

—अपीलार्थी

भजन लाल वर्मा

### बनाम

निदेकश, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं  
अन्य।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.09.2022

आदेश की दिनांक : 09.11.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमराज रोदिया, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

### आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी हैड मास्टर लेवल—द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चैनपुरा, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धामुन, खुर्द, सवाईमाधोपुर, अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरण किया गया है। जबकि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चैनपुरा, सवाईमाधोपुर में अधिशेष नहीं है, फिर भी अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरण किया गया है, जो कि अवैध एवं अनुचित है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति 30.06.2024 को होनी है। ऐसे में सेवानिवृत्ति में केवल 21 माह ही शेष है। अतः अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) की सीमा तक स्थगित किया जावे एवं प्रत्यर्थागण को नोटिसेज जारी किये जाये।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2024 को होनी है, ऐसे में अपीलार्थी की सेवा में केवल 21 माह ही शेष है। इससे स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति में अल्प समय शेष रहने से अपीलार्थी को असुविधा होगी।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 4 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 6 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण न किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)